न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 51/अपील/2025 (GCMS No. 2025/139)	13.10.2025	15.12.2025

1. गेन्दबिहारी (गेन्दीलाल) पुत्र हीरालाल सैनी जाति माली, निवासी ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. राजेन्द्र (भूरया) पुत्र हीरालाल सैनी जाति माली, निवासी ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
2. आशा बाई पत्नी स्व.पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह.तालेडा
3. कान्ती बाई पुत्री काना जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
4. चन्दा बाई पुत्री कल्याण जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
5. जगदीश दत्तकपुत्र कल्याण जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
6. जगदीश पुत्र काना जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
7. दीपा पुत्री पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
8. धनराज पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
7. दीपा पुत्री पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
8. धनराज पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
9. मनोज पुत्र पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
10. मूर्ति बाई पुत्री कल्याण जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
11. मांगी बाई पुत्री कल्याण जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
12. रतन बाई पुत्री काना जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
13. रिन्कू पुत्री पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
14. लाड़ बाई पुत्री काना जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा
15. विष्णु बाई पुत्री पप्पूलाल जाति माली निवासी देहित, तह. तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री महावीर कटारिया, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो. सं. 2 लगायत 15 की ओर से श्री रामरतन कटारिया एडवोकेट।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 1641 दिनांक 07.02.2008 ग्राम देहित से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार काना पिता मोहना माली के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 51/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/139 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा नं. 1881, 1890, 2240, 2292, 2313, 2499, 2512, 2594, 2710, 440, 441, 806, 807, 808 कुल किता 14 कुल रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा (नवीन रकबा 7.1366 हैक्टेयर) वाकेग्राम देहित, तहसील तालेडा में स्थित है, उक्त आराजी के पूर्व खातेदार अपीलांटस के दादा काना पिता मोहना माली थे। जिनके वारिसान अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस है। अपीलांटस के पिता हीरा आ0 काना के फोत हो जाने पर उनके वारिसान अपीलांट गेन्दीलाल (गेन्दबिहारी) एवं भूरया (राजेन्द्र) होने से उनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1641 दिनांक 07.02.2008 तहसीलदार तालेडा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में मृतक हीरालाल के पुत्र गेन्दीलाल व भूरया के नाम गलत अंकित हो गये है, जबकि गेन्दीलाल के स्थान पर वास्तविक नाम गेन्दबिहारी एवं भूरया के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र अंकित होना चाहिए था। अपीलांटस के सभी दस्तावेजात शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डी.एल., पेनकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में अपीलांट के नाम गेन्दबिहारी व राजेन्द्र ही है। अपीलांटस का नाम नामान्तरकरण में गलत रूप से गेन्दीलाल व भूरया दर्ज हो जाने से अपीलांटस अपने अपने हिस्से की भूमि को बैंक व वित्तीय संस्था के पास रहन रखकर के.सी.सी. की रकम भी नहीं उठा पा रहे है तथा अपने हिस्से की भूमि का विकास नहीं कर पा रहे हैं।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है तथा अपीलांटस से उनके सही नाम के संबंध में पूछताछ नहीं की है। इसलिए अपीलांटस के नाम दस्तावेजों के अनुरूप नामान्तकरण में संशोधित होने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.09.2025 को पटवारी हल्का द्वारा देने पर हुई। अपीलांटस ने दिनांक 26.09.2025 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 03.10.2025 को प्राप्त हुई। न्यायहित में जानकारी से पूर्व की देरी की अवधि मुजरा दिए जाने योग्य होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। जिसके लिए अलग से दफा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण में गेन्दीलाल व भूरया के नाम संशोधित कर दुरूस्ती का इन्द्राज करवाये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1641 दिनांक 07.02.2008 की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 26.9.2025 को होने पर दिनांक 03.10.2025 को नकल प्राप्त होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। अपीलांटस द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 17 साल बाद अपील पेश किये जाने का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलांटस के पक्ष में उक्त भूमि विरासत नामान्तरकरण से प्राप्त हुई है, ऐसे में पिता के फोत हो जाने के बाद फोती नामान्तरकरण दर्ज होने की जानकारी अपीलांटस पुत्रों को नहीं रही हो, यह कथन विश्वसनीय नहीं है। अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही होने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में अपील पेश नहीं की गई। जिससे यह अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट हुआ है कि ग्राम देहित, तत्कालीन तहसील बून्दी की आराजी किता 14 कुल रकबा 44 बीघा 02 बिस्वा भूमि का खातेदार काना पिता मोहना जाति माली हिस्सा 1/2 था। खातेदार काना के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1641 दिनांक 07.02.2008 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ठ होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 07.02.2008 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा दिनांक 07.10.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.09.2025 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण अपने दादा के फोत हो जाने पर वारिसान के नाम दर्ज किया जाना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस को दादा की मृत्यु के बाद उसके कब्जे काश्त की पैतृक भूमि के राजस्व रेकार्ड की 17 साल तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है। जबकि किसानों को लगान अदायगी,विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांट को दिनांक 26.09.2025 से पूर्व नामान्तरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तकरण में गेन्दीलाल व भूरया के नाम संशोधित कर दुरूस्ती का इन्द्राज किये जाने का प्रश्न है तो इस हेतु अपीलांटस को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136 "गलतियों का शुद्धिकरण" के तहत सक्षम स्तर पर कार्यवाही पेश की जानी चाहिए। रेकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही के लिए धारा 75 के तहत अपील पेश किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से भलीभांति प्रकट है कि प्रार्थना पत्र में अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी